



राजस्थान आवासन मण्डल,
कर्मचारी कल्याण कोष, (वर्कचार्ज) जयपुर,

क्रमांक:- वर्कचार्ज कर्म.कल्याण कोष /2025-26/ 37 दिनांक:- 7/4/25

लेखाधिकारी (भुगतान),
उप आवासन आयुक्त,
आवासीय अभियंता,
राजस्थान आवासन मण्डल,
वृत्त/खण्ड

विषय:- कर्मचारी कल्याण कोष (वर्कचार्ज) वर्ष 2025-26 के अंशदान कटौती बाबत।
सन्दर्भ:-कर्मचारी कल्याण कोष के पूर्व पत्र क्रमांक वर्कचार्ज कर्म.कल्याण कोष
/2024-25/22 दिनांक 03.04.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तहत वर्ष 2025-26 हेतु अंशदान राशि निम्नानुसार कटौती की जानी है:-

क्र.स.	पे-लेवल	प्रस्तावित कटौती
1	1 से 4	500.00
2.	5 से 8	600.00
3.	9 से अधिक	800.00

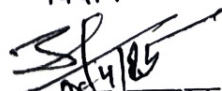
कृपया उक्तानुसार अंशदान माह अप्रैल-2025 के वेतन से काटकर दिनांक 10.05.2025 तक निम्न प्रकार प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। :-

क्र.स.	जी.पी.एफ नं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मूल वेतन	अंशदान की राशि
1	2	3	4	5	6

कृपया साथ ही यह सुनिश्चित करें कि आपके कार्यालय में कार्यरत सभी वर्कचार्ज कर्मचारियों का अंशदान नियमानुसार पूर्व देय अंशदान सहित काट लिया गया है। यदि किसी कर्मचारियों का अंशदान नहीं काटा गया है तो कारण सहित सूचित करें। अंशदान कटौती के अभाव में होने वाली कार्यवाही पर सम्पूर्ण दायित्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का होगा।

नोट:-सभी आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय में वर्कचार्ज कर्मचारी नहीं होने की स्थिति में भी उक्त प्रारूप में सूचना भिजवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय


वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक
पदेन सचिव,

रा.आ.मं.कर्म.कल्याण कोष (वर्कचार्ज)